राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

पत्रिका: राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 की धारा 26-क के तहत राजस्थान अधिनियमों के अधीन बनाए गए समस्त नियमों के लिए जारी की गयी अधिसूचनाओं/विवस्तियों की प्रतियाँ विद्यमानसमा के पत्र पर स्थापना वाला।

पदन्मरी राजस्थान विधानसभा का द्वितीय सत्र 27 जुलाई, 2019 से प्रारंभ होने जा रहा है।
राज्य सरकार की ओर से दो समस्त सूचनाएं जो किसी विधिक अथवा मिसाल नियमों के अन्तर्गत जारी की गयी हैं तथा जिनका विधान सभा से अनुसूचित अपेक्षित है अथवा जो विधान सभा के पत्र पर रखी जानी है, विधानसभा सत्र आरम्भ होने से पूर्व विधान सभा संचालन को उलझान नहीं करवायी जाती है। इस संबंध में राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावलि का नियम-169 निम्न प्रकार उद्धृत हैं:

"169 नियम, नियम आदि का सदन की मैत्र पर रखा जाना।"--

1. जब संबंधित के या विधान सभा द्वारा किसी अधीनस्त प्रधानिक को प्रत्यायोजित विधान कुप्पनों के अनुसरण में बनाए गए नियम, नियम, उप-नियम, उप-विवि आदि सदन के सामने रखी जाये, तो संक्षिप्त तथा तत्समत अधिनियम में उल्लिखित कारादण्ड इसके लिए उक्तके रक्षा जाने की अस्वीकार न पड़े, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थनित होने तथा बाद में, संसदकाल शुरू करने के पतले पूरी की जायेगी, जबकि संबंधित तथा अन्य अधिनियम में अभ्यंतर उपनिवेश न हो।

2. जब उल्लिखित कारादण्ड इस तरह पूरी न हो, तो नियम, नियम, उप-नियम, उप-विवि आदि अनुप्रयोग तथा संसध के पुनः रखें जाये जब तक कि कठिन कारादण्ड का एक समेत मूल न हो जाये।"--

उपरोक्त प्रक्रिया नियमों के अनुसार में राज्य सरकार द्वारा किसी राजस्थान अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियमों के लिए जारी की गयी अधिसूचनाओं/विवस्तियों की प्रतियाँ विधान सभा के पतल पर प्रतिष्ठित किए जाने के संबंध में राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 26-क जो कि राजस्थान राजन दिनांक 30.1.1993 को जारी की गयी है, निम्न प्रकार उद्धृत है जो:--

"26(क) नियमों का राज्य विधान मण्डल के समस्त रखा जाना।"--

किसी राजस्थान अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात वार्ताशीर्ष राज्य विधान मण्डल के समस्त कुल 14 दिन की कारादण्ड के लिए, जो एक या अधिक सजों में समाविष्ट हो सकतीं, रखें जायें और यदि उस अंतर्गत दो प्रारूप राज्य विधान मण्डल से कोई संगठन करता है तो, तत्काल, ये नियम, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात को किसी मान्यता पर प्रतिलिपि प्रायांक बाल्य के असंक्षिप्त रूप में ही प्रमाणी होगें।

जहाँ राजस्थान राज्य में प्रयुक्त या लागू, और ऐसे मामलों में, जिनके के बारे में राज्य विधान मण्डल का राज्य के लिए विविध बनाने की शक्ति प्राप्त है, संबंधित कोई भी केंद्रीय अधिनियम राज्य सरकार को उसके अधीन नियम बनाने की शक्ति प्राप्त करता है वहाँ उपरान्त (1) के उपरान्त, ऐसे अधिनियम में प्रतिलिपि किसी भी स्वतंत्र उपरान्त के, अधीनायक रहें हेतु, राज्य सरकार द्वारा उस शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाये गये नियमों पर यथाशक्त लागू होंगे।"
उपरोक्त निर्देश की क्रियान्विति हेतु समय-समय पर संसदीय कार्य विभाग द्वारा परिषद के माध्यम से समस्त शासन सभियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश भिजवाये जाते रहें हैं।

आधुनिकता मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवालय/विशिष्ट शासन सचिवालय के ध्यान उपरोक्त अक्षर प्राधिकृत प्राधिकृत कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक करते हुए निर्देश है कि उनके द्वारा इन्हें निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल दृष्टि करनी चाहिए:—

1. ये समस्त अधिसूचनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा बनाये गये राजस्थान अधिनियम अथवा राजस्थान राज्य में प्रस्तुत या लाया की कोई भी केंद्रीय अधिनियम के अनुसार बनाए गए उन समस्त नियमों या संशोधनों के लिए जारी की गयी, जो आपने वाणिज्य समा सदर से पूर्व तथा इत्यादि सदर की सामाप्ति के बाद विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गयी हैं तथा जिनका विधान सभा से अनुसमर्थन अर्पित हो अथवा जो विधान सभा के पतल पर रखी जाना उपयुक्त समझी जाए, उनकी पार विनियम विधान सभा के सत्र आरम्भ होने की लिथित से पूर्व ही विधानसभा सचिवालय को भिजवा दी जाए।

2. विधानसभा सचिवालय को भेजी जाने वाली अधिसूचनाओं की दो प्रतियाँ माननीय प्रमुख मंत्री महोदय से आवश्यकता कर भिजवायी जानी चाहिए।

3. विधानसभा सचिवालय को भेजी जाने वाली अधिसूचनाओं के संचय में माननीय मंत्री महोदय के पूर्व में ही पूरी जानकारी दें जिसे हेतु वह संबंधित विषय कर ली जाए।

4. विधानसभा सचिवालय के पतल पर प्रस्तुत की जाने वाली अधिसूचनाओं के विधान सभा के पतल पर सत्र के दौरान जिस लिथित एवं समय पर विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उस लिथित एवं समय की जानकारी विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी की गयी दैनिक कार्यवाही के आधार पर जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित किया जाये कि अधिसूचना के प्रस्तुतकरण के समय संबंधित अधिकारी विधान सभा में उपस्थित रहें, ताकि अधिसूचनाओं के संबंध में किसी भी प्रतिवेदन के संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाना अथवा पत्रसंदहरू किया जाना संयम हो सके।

5. विधानसभा सचिवालय द्वारा किसी अवसर अधिकारी को प्रतियांद्वितिः विधि कृपयौं के अनुसार में बनाये गये विखियों, नियमों, उप-नियमों, उप-विधि आदि में संबंधित अधिसूचनाएं एवं तत्कालीन समाधी सदन के पतल पर संबंधित विधानसभा को भिजवायी जाती हैं। ऐसे सदन की मेज पर रखा जाने वाले पत्रसंदहरू के संबंध में संबंधित, समयविधि आदि के लिए जिस प्रकार के अन्तर्गत रखबार जाने हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख कर विधान सभा सचिवालय को भिजवाएं, ताकि उनका सदन की मेज पर रखे जाने में अनावश्यक विपक्ष न हो।

जो अधिसूचनाएं विधान सभा के पतल पर प्रस्तुत की जाती हैं उनके संचय में अनुपालन रिपोर्ट से सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव महोदय एवं प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग को भी अवगत कराने का कार्य।

कृपया इसे आयोगपत्र सामने ।

(महाराजाँ प्रसाद शाही)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिवालय।

प्रतिलिपि निम्नान्तिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तित है—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशेष उप सचिव, मात्र मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. प्रोग्राम सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(2)
2019

शासन उप सचिव